बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

स्वा0स्वा0-3/पेन-01-58/2024

आदेश

स्व0 (डा0) रविन्द्र नारायण, भूतपूर्व, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना जिनकी मृत्यु की तिथि **28.11.2024** है, का बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एव नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के सकल्प सख्या 4185/वि0 दिनाक 13 7 1985 की कडिका 5 एव अधिसूचना सख्या 2757/वि0 दिनाक 27 04 1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एव फैक्स सवाद 2685/वि0 (2) दिनाक 22 04 1998 के आलोक में कुल रूपये **4,02,224/– (चार लाख दो हजार दो सौ चौबीस)** रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति उनकी पत्नी **मो0 रीता नारायण** के पक्ष मे प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त सकल्प एव अधिसूचना तथा नियमो के अन्तर्गत **स्व0 (डा0) रविन्द्र नारायण** का अपनी मृत्यु की तिथि तक योजना के सदस्य रहने तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एव सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना मे आदेशानुसार समय–समय पर निर्धारित दर क्रमश 20/– 80/– एव 120/– रूपये की दर से अशदान के रूप मे अपने वेतन से भुगतान करते रहने के आलोक मे जमा राशि की व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है –

			मूलधन	ब्याज	कुल योग
(i)	पुरानी ग्रुप बीमा योजना	–	9200	176472	185672
(ii)	नयी ग्रुप बीमा योजना	–	26880	69692	96572
	कुल योग	–	36080	246164	282244
(iii)	बीमा की राशि	–			120000
	कुल योग	–			402224

4,02,224/-- (चार लाख दो हजार दो सौ चौबीस) रूपये मात्र ।

3) यह बजट शीर्ष–8011–बीमा एव पेशन निधियॉ राज्य सरकार के बीम निधि (व्यय) 105 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी ।

4) वर्णित राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात **स्व0 (डा0) रविन्द्र नारायण की पत्नी द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते** के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।

5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड सख्या– 00–8011001070001–0002 से की जाएगी।

ह0/–

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक 43(3) /स्वा0, पटना, दिनाक 22/01/25

प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः मो0 रीता नारायण, पति– **स्व0 (डा0) रविन्द्र नारायण, भूतपूर्व, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** पत्राचार का पता–लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी सागर, बावन विगहा, रोड न0–03, दरभगा, पिन–846004, मो0 न0 **9798059477** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

21/1/25

सरकार के अपर सचिव